संख्या-15/2021/684/96-आयुष-1-2021-101/2010

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 23 फरवरी, 2021**

विषय- राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अतर्रा बांदा में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन तथा छात्रावासों के निर्माण कार्य हेतु षष्ठम किश्त निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-177/332टी0सी0/2020-21/योजना; दिनांक 03.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत योजना के अंतर्गत अधूरे आवासों का निर्माण कार्य अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार दिये गये विवरण के अनुरूप पूर्ण करा दिये जायेंगे:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	पूर्ण होने वाली अवधि
1	टाइप-1 (12 आवास)	90 दिन
2	टाइप-3 के दो ब्लाक 12 आवास	90 दिन
3	ब्वायज हॉस्टल 50 सीटेड	90 दिन
4	टाइप-2 के दो ब्लाक 12 आवास	90 दिन
5	टाइप-4 के दो ब्लाक 08 आवास	90 दिन

अनुरोध किया गया है कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अतर्रा बांदा में चल रहे निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0-141.55 लाख अवमुक्त किया जाय।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-5311/71-2-2010-101/2010, दिनांक 22.11.2010 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0-2967.23 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-593.40 लाख, शासनादेश संख्या-2557ए/71-आयुष-1-2011-101/2010, दिनांक 08.04.2011 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-583.912 लाख, शासनादेश संख्या-3067/71-आयुष-1-2012-101/2010, दिनांक 05.10.2012 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-500.00 लाख, शासनादेश संख्या-555/71-आयुष-1-2014-101/2010, दिनांक 19.03.2014 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0-500.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-1095/71-आयुष-1-16-101/2010, दिनांक 22.03.2016 द्वारा पंचम किश्त के रूप में धनराशि रू0-500.00 लाख अवमुक्त किया गया, कुल धनराशि रू0-2677.312 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत प्रश्नगत प्रायोजना हेतु परियोजना की कुल लागत की 05 प्रतिशत धनराशि अवरूद्ध करते हुए षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0-141.55 लाख (रूपये एक करोड इक्तालिस लाख पचपन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, आयुर्वेद सेवायें तथा संबंधित प्रधानाचार्य की है।

2- आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।

3- प्रायोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यॉकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4- चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।

5- परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, अयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 का होगा।

6- परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें का होगा।

8- प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

9- प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

10- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।

11- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

12- सम्बन्धित परियोजनाओं के ऑगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

13- यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियॉ सम्मिलित हैं तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

14- अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात वीडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिससे कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।

15- निदेशक आयुर्वेद सेवायें उ0प्र0, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16- षष्ठम् किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आई0आई0टी0 की गुणवत्ता रिपोर्ट एवं निदेशक/प्राचार्य द्वारा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात ही अग़ली किश्त निर्गत की जायेगी।

17- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा अपने स्तर पर प्रतिमाह उक्त कार्यों की समीक्षा हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा संबंधित कार्यदायी संस्था के साथ बैठक करते हुए कार्य की गुणवत्ता एवं समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

18- परियोजना की अंतिम/अगली किश्त इस शर्त पर निर्गत की जायेगी कि कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना में प्रस्तावित समस्त भवनों को विभाग को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। भवन हस्तांतरण की सूचना से प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा शासन को अवगत कराया जायेगा।

19- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित प्राचार्य द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 एवं 24.03.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

3- शासनादेश शासनादेश संख्या-5311/71-2-2010-101/2010, दिनांक 22.11.2010, शासनादेश संख्या-2557ए/71-आयुष-1-2011-101/2010, दिनांक 08.04.2011, शासनादेश संख्या-3067/71-आयुष-1-2012-101/2010, दिनांक 05.10.2012, शासनादेश संख्या-555/71-आयुष-1-2014-101/ 2010, दिनांक 19.03.2014 तथा शासनादेश संख्या-1095/71-आयुष-1-16-101/2010, दिनांक 22.03.2016 की शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल, 00 के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29.09.2020 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-15/2021/684(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-एस0एस0-4/डी0पी0/पी0डी0पी0-52/2017-18/40, दिनांक 15.06.2018 के संदर्भ में।
(4) जिलाधिकारी, बांदा को उनके पत्र संख्या-830/रा0आ0का0/नि0का0/2020-21, दिनांक 28.01.2021 के संदर्भ में।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, बांदा।
(6) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा।
(8) परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, बांदा (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(9) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in